

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:-कार्यालय-आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7(43)शिक्षा-2/2022 जयपुर, दिनांक 26.08.2022 द्वारा अर्चना पूनियां, व्याख्याता-भूगोल, राउमावि. बैरासर छोटा, राजगढ़, चूरू का परीक्षाकाल में 30 दिवस से अधिक लिये गये 212 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति के क्रम में राजस्थान सेवा नियम 96 के तहत असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	19.02.2018 से 27.02.2018	09 दिन
	06.03.2018 से 10.03.2018	05 दिन
	22.03.2018 से 27.03.2018	06 दिन
	03.04.2018 से 12.04.2018	10 दिन
	23.04.2018 से 05.05.2018	13 दिन
	02.07.2018 से 03.07.2018	02 दिन
	11.07.2018 से 03.08.2018	24 दिन
	08.08.2018 से 01.09.2018	25 दिन
	07.09.2018 से 18.09.2018	12 दिन
	09.01.2019 से 19.01.2019	11 दिन
	24.04.2019 से 04.05.2019	11 दिन
	06.09.2019 से 04.10.2019	29 दिन
	04.11.2019 से 02.12.2019	29 दिन
	25.02.2020 से 21.03.2020	26 दिन
कुल असाधारण अवकाश दिवस		212 दिवस

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.03.2022 द्वारा 30 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के मैमोरेण्डम दिनांक 08.08.2019, 06.01.2020 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 25.10.2019 के प्रावधानानुसार कार्मिक के परीक्षाकाल में 212 (242-30) दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/ अवकाश/प्रोबेशनरी ट्रेनी/2021-22 दिनांक:- 02/01/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर